भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1123

उत्तर दिनांक 05/12/2024 को दिया गया

आंध्र प्रदेश में यूरेनियम खनन

1123. श्री येरेम वेंकट सुब्बा रेड्डी

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सच है कि परमाणु खनिज निदेशालय (एएमडी) ने यूरेनियम भंडार का पता लगाने के लिए आंध्र प्रदेश के कुरनूल के 15 गांवों में 68 बोर खोदने की अनुमति दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एएमडी ने 2017 में खुदाई की अनुमति दी थी, लेकिन उपरोक्त गांवों में कोई यूरेनियम नहीं मिला;

(ग) यदि हां, तो दोबारा अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि उपरोक्त गांवों के ग्रामीण एएमडी के उपरोक्त कदम का विरोध कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में एएमडी द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) नहीं।

(ख) व (ग) परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), भारत सरकार की संघटक इकाई, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) ने वन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार से अनुमति प्राप्त करने के बाद वर्ष 2017-18 के दौरान काप्पात्राल्ला आरक्षित वन, कुरनूल जिले के अदोनी रेंज, आंध्र प्रदेश में 20 बोरहोल तक भूवेधन किया। भूवेधन से अधःपृष्ठ में निम्न श्रेणी के यूरेनियम खनिजीकरण के प्रारंभिक साक्ष्य मिले। एएमडी ने विस्तार क्षेत्रों में यूरेनियम खनिजीकरण होने की संभावना की जांच करने हेतु भूवेधन के लिए पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश से वन अनुमति का अनुरोध किया।

(घ) व (ङ) एएमडी ने अभी तक काप्पात्राल्ला आरक्षित वन, कुरनूल डिवीजन और जिले के अदोनी रेंज, आंध्र प्रदेश में कोई भूवेधन गतिविधि शुरू नहीं की है और एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (आईआरओ), पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश से अंतिम अनुमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। कुछ छिटपुट जगहों पर विरोध की सूचना प्राप्त हुई है।

*****